भारत सरकार
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
कर्मचारी चयन आयोग (मध्य क्षेत्र), प्रयागराज

संख्या **2605/SSC-CR/2019**-प्रशासन दिनांक 15.05.2019

नीलामी सूचना

कर्मचारी चयन आयोग (मध्य क्षेत्र), 21–23, लाउदर रोड, प्रयागराज में अस्थायी तौर पर बनाये गये स्टील एवं फाईवर के शेड़ों की नीलामी दिनांक 21.05.2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे के मध्य सार्वजनिक बोली (public auction) के माध्यम से कर्मचारी चयन आयोग (मध्य क्षेत्र), 21–23, लाउदर रोड, प्रयागराज के कार्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी। इच्दुक बोलीदाता उक्त अवधि पर उपस्थित रह कर अपनी अधिकतम बोली जमा सकते हैं।

नियम एवं शर्तें

1. इच्छुक बोलीदाता को दिनांक 16.05.2019 से 20.05.2019 तक कार्यालय अवधि में कर्मचारी चयन आयोग (मध्य क्षेत्र), 21–23, लाउदर रोड, प्रयागराज के कार्यालय परिसर में शेड़ों का निरीक्षण करने का अवसर दिया जाएगा।

2. बोलीदाता को फोटो पहचान पत्र नीलामी प्रकिया प्रारम्भ होने से 15 मिनट पूर्व (10:45 AM) सहायक निदेशक (प्रशासन) के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सभी शेडों के लिए रिजर्व कीमत रू0 1,00,000/– निर्धारित है।

3. संभावित बोलीदाता बोली लगाने से पूर्वरू0 10000/– का बैंक ड्राफ्ट जो क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग (मध्य क्षेत्र) इलाहाबाद के पक्ष में देय होगा,जमानत राशि के रूप में जमा करने अनिवार्य है अन्यथा बिना जमा राशि जमा किये हुए बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी। यह धनराशि सफल बोलीदाता (सर्वाधिक बोलीदाता) के कुल धनराशि में समायोजित कर ली जाएगी और असफल बोलीदाता को उसी दिन वापस कर दी जाएगी।

4. शेडों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क.सं..	शेड का विवरण
1.	Fiber Sheet Shade Size 20X39ft.
2.	Steel Sheet Shade Size 7X21 ft.
3.	Steel Sheet Shade Size 21X38 ft.
4.	Cemented Sheet Shade Size 17X11 ft.
5.	Steel Sheet Shade Size 21X38
4.	Aluminium Partition Size Height 8 ft & length 25ft.

जारी पृष्ठ 2 पर ....

5. सफल बोलीदाता को 2 दिन के अन्दर पूर्ण धनराशि (अग्रिम जमा धनराशि को घटाकर) बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी। यदि सफल बोलीदाता शेडों खरीदने में असमर्थ रहता है तो अग्रिम जमा धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

6. किसी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी को बोली प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करने वाले सरकारी कर्मचारी का कृत्य आचरण नियमावली के अधीन अनुचित समझा जाएगा।

7. किसी विवाद की स्थिति में क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग (मध्य क्षेत्र), प्रयागराज का निर्णय अन्तिम होगा और संबंधित बोलीदाता उसे मानने के लिए बाध्य होगा।

8. नीलामी प्रकिया को स्वीकार करने एवं निरस्त करने का सर्वाधिकार क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग (मध्य क्षेत्र), इलाहाबाद का सुरक्षित होगा।

9. सामग्री जैसा है, जहॉ है, जिस स्थिति में है, के आधार पर बेचा जाएगी। केता को स्वयं अपने खर्च पर उसे खोल/निकाल कर ले जाना होगा। कार्यालय की तरफ से कोई भी ले जाने का खर्च नहीं किया जाएगा।

उप निदेशक (प्रशासन)